सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद- आजमगढ़/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 06.08.2025

जनपद आजमगढ़

01.थाना-मुबारकपुरः- अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 30.07.2025 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया कि वादी के नाबालिग पुत्र के साथ 04 अभियुक्तों क्रमशः 1. मुहम्मद अहमद पुत्र बदरूद्दीन निवासी मोहल्ला कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ 2. सलीम पुत्र इम्तियाज निवासी मोहल्ला कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ 3. एक बाल अपचारी 4. अरशद आजमी पुत्र असलम निवासी सईदनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया है। जिसके सम्बन्ध मे थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 339/2025 धारा 351(3) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 04 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया इस तरह कुल 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 05.08.2025 को उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित एक बाल अपचारी को इस्लामपुरा से समय करीब को समय करीब 11.45 बजे पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 339/2025 धारा 351(3) बीएनएस व 3 /4(2) पाक्सो एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

02.थाना-कोतवालीः- कार्यसरकार में बांधा डालने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहासः-

वादी सच्चिदानन्द PRV-7149 मोटरसाइकिल थाना कन्धरापुर आजमगढ (पुलिस कर्मी) द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मैं कां0 सच्चिदानन्द, होमगार्डचालक राजेश राय के साथ दिनांक 03.08.2025 की शाम करीब 06.30 बजेपेट्रोल लेकर हर्रा की चुंगी से वापस जाते समय फल लेने हेतु चौक पर रूके कि एक दो पहिया वाहन पर तीन सवार आये व एक अज्ञात राहगीर से गाली गलौज करने लगे व उसके साथ धक्का मुक्की करने लगे। जिस पर पास में खड़े एक व्यक्ति द्वारा हम लोगो से कहा गया कि साहब वे लोग विवाद कर रहे है बचा लीजिये। जिस पर हम दोंनों लोग उक्त व्यक्तियों के पास पहुँचकर बीच बचाव करने लगे। जिस पर तीनो लड़के व दो अन्य लड़के एकत्रित होकर हम दोंनों लोगों से गाली गलौज करते हुए हाथापाई किये तथा वर्दी की कालर पकड़कर खींच दिये जिससे मेरे शर्ट की बटन टूट गई मेरे द्वारा काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया लेकिन उक्त व्यक्तियों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मार देने की धमकी दिया गया व बार-बार वाहन संख्या UP32DG7149 सरकारी दो पहिया वाहन को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। जिस पर आसपास के मौजूद लोगों द्वारा इक्ट्ठा होकर उन लोगों को हटा दिया गया।जिनके बारे में जानकारी किया गया तो उनका नाम 1.अंकित सोनकर पुत्र टिल्ठू सोनकर 2.मोनू सोनकर पुत्र टिल्ठू सोनकर 3.सोनु सोनकर पुत्र टिल्ठू सोनकर व दो अन्य व्यक्ति जो समस्त निवासी कटरा अंनतपुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के पाये गये।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर दिनांक 04.08.2025 को मु0अ0सं0 372/2025 धारा 3(5),132, 351(3), 352, 324(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

<u>*गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-*</u>

दिनांक 04.08.2025 को उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय चौकी प्रभारी बदरका मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. मोनू सोनकर पुत्र टिल्ठू सोनकर, निवासी मोहल्ला कटरा अनन्तपूरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 2. सोनू सोनकर पुत्र टिल्ठू सोनकर निवासी मोहल्ला कटरा अनन्तपूरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को उनके घर मोहल्ला कटरा अनन्तपूरा से समय करीब 08.45 बजे शाम को गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>अभियुक्त का विवरणः-</u>

1. मोनू सोनकर पुत्र टिल्ठू सोनकर उम्र 22 वर्ष, निवासी मोहल्ला कटरा अनन्तपूरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. सोनू सोनकर पुत्र टिल्ठू उम्र 25 वर्ष, निवासी मोहल्ला कटरा अनन्तपूरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01. मु0अ0सं0 372/2025 धारा 3(5),132, 351(3), 352, 324(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम-</u>

01. उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय चौकी प्रभारी बदरका, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
02. कां0 नीरज कुमार, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
03. कां0 विकास सरोज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

<u>03.थाना-दीदारगंजः-युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार</u>

<u>पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की नाबालिग लड़की को अभियुक्त दिलीप पुत्र उजागिर निवासीग्राम प्रतापपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 194/25 धारा 87,137(2) BNS बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकमदा उपरोक्त में धारा 64(1) BNS व ¾ पास्को एक्ट की बढोत्तरी किया गया।

<u>*गिरफ्तारी का विवरणः-*</u>

आज दिनांक 05.08.2025 को उ0नि0 करमुल्ला अली मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त दिलीप पुत्र उजागिर ग्राम प्रतापपुर थाना पवई जनपद आजमगढ उम्र 23 वर्ष को हुब्बीगंज बाजार से समय करीब 9.40 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

1.दिलीप पुत्र उजागिर ग्राम प्रतापपुर थाना पवई जनपद आजमगढ उम्र 23 वर्ष

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-</u>

1. उ0नि0 करमुल्ला अली थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
2. का0 गुलाबधर यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

<u>जनपद– बलिया</u>

<u>1. थाना फेफना जनपद बलिया पुलिस द्वारा गो-तस्करी से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में गो-तस्करी की रोकथाम एवं अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी श्री कृपा शंकर के

निकट पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी सदर श्री मो0 उस्मान व प्रभारी निरीक्षक फेफना श्री अजय कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व मे थाना फेफना पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 05.08.2025 थाना फेफना पुलिस टीम के उ0नि0 श्री सत्येन्द्र चौधरी , का0 राजन रजक , का0 इन्द्रजीत पाल के रवानाशुदा देखभाल क्षेत्र पेण्डिंग विवेचना क्षेत्र में मामूर थे की जरिए मुखबीर की सूचना पर मु0अ0सं0 176/25 धारा 3/5 ए / 8 गो0 नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि अधि0 थाना फेफना जनपद बलिया से वाछिंत अभियुक्त रिकीत कुमार उर्फ रितिक पुत्र नन्दकुमार राम निवासी मझरिया कोट अजोरपुर थाना नरही जनपद बलिया को सिंहपुर तिराहे के पास बने मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -</u>

1. अभियुक्त रिकीत कुमार उर्फ रितिक पुत्र नन्दकुमार राम निवासी मझरिया कोट अजोरपुर थाना नरही जनपद बलिया उम्र 23 वर्ष।

<u>सम्बन्धित अभियोग-</u>

01. मु0अ0सं0 176/25 धारा 3/5 ए / 8 गो0 नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना फेफना जनपद बलिया।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

01. मु0अ0सं0 158/24 धारा 3/5 ए / 8 गो0 नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना नरही जनपद बलिया।

<u>2. थाना दोकटी जनपद बलिया पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बैरिया श्री मो0 फहीम कुरैशी व प्रभारी निरीक्षक दोकटी श्री हरिशंकर सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना दोकटी पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 05.08.2025 को दोकटी पुलिस टीम के उ0नि0 श्री कमलाशंकर गिरी मय हमराह का0 अंकित पटेल व म0का0 कविता चौहान देखभाल क्षेत्र पेण्डिंग विवेचना क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 006/25 धारा 137(2)/87 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 01 नफर अभि0 किशन कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 विरेन्द्र पाण्डेय उम्र 21 वर्ष नि0 अठगावा थाना बैरिया जनपद बलिया को रेलवे स्टेशन छपरा (बिहार) से गिरफ्तार किया गया। अपहृता/पीड़िता का अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एन0एस0 के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 5J(II)/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी किया गया है। अभि0 उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष रवाना किया गया।

<u>सम्बन्धित अभियोग-</u>

मु0अ0सं0 006/25 धारा 137(2)/87/65(1) बी0एन0एस0 व 5J(II)/6 पाक्सो एक्ट थाना दोकटी जनपद बलिया

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

1. किशन कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 विरेन्द्र पाण्डेय उम्र 21 वर्ष नि0 अठगावा थाना बैरिया जनपद बलिया।

03. <u>श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में 01 नफर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 22,000/- (बाइस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।</u>

दिनांक 05.07.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना उभांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-159/1997 धारा 148, 302, 506 भा0दं0सं0 में 01 नफर अभियुक्त 1. जितेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रशेखर सिंह, निवासी ग्राम मझवलिया, थाना उभांव जनपद बलिया को मा0 न्यायालय न्यायाधीश(बाल न्यायालय)/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं0- 8 जनपद बलिया द्वारा-

धारा 302 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को आजीवन कारावास व अभियुक्त को 20,000/ (बीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 148 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को01 वर्ष का सश्रम कारावास व अभियुक्त को 1,000/ (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व अभियुक्त को 1,000/ (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 21.04.1997 को थाना उभांव पर वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरा भतीजा मुन्ना लाल पुत्र कन्हैया यादव सोनेडीह मेले में वीडियो चला रहा था कि इसी बीच वीडियो देखने आये कुछ लोग से वाद-विवाद हो गया जिसमें जितेन्द्र सिंह व कुछ अन्य लोग द्वारा मेरे भतीजे को एक जुट होकर चाकू से मारकर लहुलूहान कर धमकी देते हुए भाग गये, जिसे इलाज हेतु PHC सियर ले जा रहे थे कि रास्ते में मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

04. <u>थाना बैरिया जनपद बलिया पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत NBW वारण्ट आदेश के क्रम में 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी बैरिया श्री मो0 फहीम कुरैशी एवं प्रभारी निरीक्षक श्री मूलचन्द्र चौरसिया के कुशल नेतृत्व में थाना बैरिया पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत NBW वारण्ट के आदेश के क्रम में मु0नं0 250/23, मु0अ0सं0 573/17 सरकार बनाम सोनू यादव धारा 323/504 भा0द0वि0 थाना बैरिया जनपद बलिया से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त सोनू यादव पुत्र हरेराम यादव निवासी सिवनटोला थाना बैरिया जनपद बलिया को उ0नि0 श्री श्याम प्रकाश मिश्रा मय हमराह कर्मचारी द्वारा अभियुक्त के घर शिवनटोला पर दबिश देकर मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत वारण्ट से अवगत कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर आज दिनांक 05.08.2025 को समय करीब 11.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय द्वारा विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय बलिया रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तार वारण्टी का नाम पता-</u>

1. सोनू यादव पुत्र हरेराम यादव निवासी सिवनटोला थाना बैरिया जनपद बलिया

05. <u>थाना नगरा जनपद बलिया पुलिस द्वारा मानक से अधिक आवाज में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तगणों का चालान किया गया व कब्जे से डीजे/साउन्ड बाक्स को कब्जा पुलिस में लिया गया।</u>

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (उत्तरी) श्री अनिल कुमार झाँ के सफल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी रसड़ा महोदय श्री आलोक कुमार गुप्ता व थानाध्यक्ष नगरा श्री रत्नेश कुमार दूबे के कुशल निर्देशन में थाना नगरा पुलिस को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि दिनांक- 29.07.2025 को उ0नि0 रामप्रसाद बिंद मय हमराह के साथ कस्बा नगरा में महाबीरी जूलूस शांति व्यवस्था ड्यूटी में मौजूद थे तो देखे कि महावीरी जूलूस में लगे डीजे क्रमशः 1.निशांत पुत्र नन्दलाल निवासी बलुआ थाना नगरा बलिया 2. कृष्णा पुत्र स्व राजकुमार मध्देशिया निवासी ग्राम अवाएं भैरो मंदिर थाना उभांव बलिया 3. उमेश साहनी पुत्र लाल बहादुर निवासी मातवरगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के संचालक के द्वारा बड़े-बड़े साउण्ड बाक्स बाधे हुए थे तथा तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे। डीजे संचालकों के द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र से तीव्र आवाज डीजे बजाने से आम जनता व जनमानस में न्यूसेंस पैदा हो रहा था तथा हृदय रोग से ग्रसित व वृद्ध जनों के काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, पर्यावरण दूषित होने तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा तीव्र ध्वनि प्रसार रोकने के बाबत गाइडलाईन का उल्लघंन डीजे संचालकों द्वारा किया गया। जिसमें तीनों डीजे संचालको से डीजे बजाने के सम्बन्ध में अनुमित माँगा गया तो नहीं दिखा सके जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-193/2025 धारा 292 बीएनएस, 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, धारा 4/6 ध्वनि प्रदूषण अधि0 2000 पंजीकृत कर आज दिनांक-05.08.2025 को अभियुक्तगण 1.निशांत पुत्र नन्दलाल निवासी बलुआ थाना नगरा बलिया 2. कृष्णा पुत्र स्व राजकुमार मध्देशिया निवासी ग्राम अवाएं भैरो मंदिर थाना उभांव बलिया के कब्जे से डीजे/साउन्ड बरामद कर अभियुक्तगणों का चालान किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 193/2025 धारा 292 बीएनएस, 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, धारा 4/6 ध्वनि प्रदूषण अधि0 2000

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. निशांत पुत्र नन्दलाल निवासी बलुआ थाना नगरा बलिया उम्र 32 वर्ष
2. कृष्णा पुत्र स्व राजकुमार मध्देशिया निवासी ग्राम अवाएं भैरो मंदिर थाना उभांव बलिया उम्र 20 वर्ष

बारमदगी विवरण-

1. कब्जे से डीजे/साउन्ड बरामद